कार्यालय, निदेशक–माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60710/ए.मा.मॉ./21–22 दिनांकः–24/02/2021

एकीकृत मान्यता विवरण प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

राज्य में गैर–सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के बेहतर संगठन एवं विकास के लिए उपबन्ध करने हेतु राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 बनाये गये हैं। उक्त अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत गैर–सरकारी संस्थाओं को मान्यता, सेवा शर्ते, प्रबन्ध समिति आदि के सम्बन्ध में प्रबन्धन, प्रबोधन एवं नियोजन किया जाता रहा है। वर्तमान में राज्य में लगभग 38000 से अधिक गैर–सरकारी विद्यालय संचालित हैं। इन गैर सरकारी विद्यालयों की मान्यता/क्रमोन्नति/नाम/स्थान/वर्ग/माध्यम/परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/विषय /सकांय आदि के संबंध में समय–समय पर प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं। विद्यालय की सुविधा हेतु वर्तमान तक प्रदत्त समस्त प्रमाण–पत्रों के आधार पर एकीकृत प्रमाण–पत्र जारी किए जाने हेतु पीएसपी पोर्टल पर नवीन मोड्यूल संचालित किया गया हैं। समस्त विद्यालयों द्वारा वर्तमान तक जारी एवं प्रभावी प्रमाण–पत्रों के आधार पर नवीन मोड्यूल में प्रविष्टि की जानी है एवं जारी प्रमाण–पत्र/वांछित दस्तावेजों की पठनीय प्रमाणित प्रति पीडीएफ फोर्मेट में अपलोड की जानी है।

संबंधित गैर–सरकारी विद्यालयों द्वारा मोड्यूल में प्रविष्टि कर लॉक किए जाने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) कार्यालय के लॉग–इन में उक्त सूचना प्रदर्शित होगी। जिशिअ कार्यालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा, कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाईन सत्यापन किया जाना है। सत्यापन कर लॉक किए जाने पर उक्त सूचना निदेशालय प्रा0शि0/मा0शि0 के लॉगिन में प्रदर्शित हो जाएगी। निदेशालय द्वारा वांछित दस्तावेजों की जांच उपरान्त अनुमोदन की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राशि/माशि द्वारा एकीकृत मान्यता प्रमाण–पत्र जारी किया जाना है। विद्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अद्यतन स्थिति एकीकृत मान्यता विवरण प्रमाण–पत्र विद्यालय को जारी किया जाएगा।

गैर–सरकारी विद्यालयों एवं कार्यालयों की सुविधा हेतु एकीकृत नवीन मान्यता मोड्यूल के संबंध में यूजर मेनुअल पीएसपी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। विस्तृत जानकारी प्राईवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी) http://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/Home.aspx पर उपलब्ध है। समस्त गैर–सरकारी विद्यालय उक्त प्रविष्टियां 60 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

विभिन्न स्तरों पर एकीकृत मॉड्यूल में डाटा अपडेशन एवं वैरिफिकेशन सम्बन्धी गैर–सरकारी विद्यालय स्तर एवं जिशिअ स्तर के करणीय कार्य निम्नानुसार हैः–

• गैर–सरकारी विद्यालय/संस्था स्तर :–

1. प्रत्येक गैर–सरकारी विद्यालय के लिए विज्ञप्ति जारी होने के 60 दिवस के भीतर एकीकृत मान्यता माड्यूल की समस्त प्रविष्टि की जानी आवश्यक होगी। उक्त मॉड्यूल विभागीय वेबसाईट http://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/home.aspx पर प्रदर्शित है। विद्यालय अपने पी कोड द्वारा लॉग–इन आईडी तथा पासवर्ड से पोर्टल पर लॉग–इन करेंगें।
2. लॉग–इन करने पर विद्यालय से सम्बन्धित विद्यालय प्रोफाईल खुल जाएगा, जिसमें विद्यालय अपनी समस्त प्रकार की वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि कर सकेगा।
3. वांछित सूचना में विद्यालय की सामान्य सूचना, विद्यालय प्रोफाईल, सोसाईटी विवरण, एन.ओ.सी. विवरण, मान्यता विवरण (विभाग द्वारा पूर्व में जारी की गई मान्यता आदेश एवं वर्तमान में प्रभावी आदेशों की प्रति) आदि की प्रविष्टियां की जाएगी।
4. विद्यालय द्वारा क्रमवार वांछित सूचनाओं की प्रविष्टियां एवं वांछित मूल आदेशों की संस्था सचिव द्वारा प्रमाणित प्रति (सुस्पष्ट व पठनीय योग्य) पोर्टल पर निर्धारित फॉरमेट में अपलोड की जाएगी।
5. विद्यालय, विद्यालय प्रोफाईल विवरण में भरी सूचनाओं को भली प्रकार से जांच कर लें कि, विद्यालय द्वारा प्रविष्टि की गई सभी सूचना सही हैं, तत्पश्चात् प्रोफाईल को लॉक किया जाना सुनिश्चित करें। एक बार विद्यालय प्रोफाईल लॉक होने के उपरान्त किसी स्तर से किसी भी प्रकार का संशोधन/बदलाव किया जाना संभव नही होगा।

Scanned with CamScanner

6. प्रत्येक विद्यालय 60 दिवस के भीतर एकीकृत मान्यता मॉड्यूल पर ऑनलाईन सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः विद्यालय अविलम्ब सभी प्रकार की सूचनाओं की प्रविष्टि करावें ताकि अपलोड में आ रही तकनीकी कठिनाइयों एवं सर्वर सम्बन्धी समस्याओं से बचा जा सकें।
7. उक्त मॉड्यूल समयबद्ध कार्यक्रम के तहत संचालित किया जा रहा है। राज्य में संचालित समस्त गैर–सरकारी विद्यालयों को उक्त मॉड्यूल में प्रविष्टियां की जानी अनिवार्य है। प्रविष्टि नहीं करने वाले विद्यालयों को मान्यता/क्रमोन्नति/सम्बद्धता आदि आवेदन हेतु पात्र नहीं माना जाएगा तथा पोर्टल पर विद्यार्थियो का ऑनलाईन प्रवेश सम्बन्धी कार्य, आरटीई भुगतान, आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी जिसका समस्त उतरदायित्व संबंधित विद्यालय का होगा।

• जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तरः–

1. संबंधित गैर–सरकारी विद्यालयों द्वारा मोड्यूल में प्रविष्टि कर लॉक किए जाने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) कार्यालय के एकीकृत मान्यता मॉड्यूल लॉग–इन में उक्त विद्यालय की सूचना प्रदर्शित होगी।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) कार्यालय स्तर पर उक्त मॉड्यूल में प्रविष्टियों की जांच हेतु जिशिअ की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें जिशिअ के अतिरिक्त एक व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं संबंधित लिपिक सदस्य होंगे। गठित कमेटी के द्वारा ऑनलाईन की गई प्रविष्टियों, अपलोड किए गये दस्तावेजों को कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मिलान कर सम्बंधित विद्यालय प्रोफाईल का सत्यापन किया जायेगा।
3. सम्बंधित कमेटी विद्यालय द्वारा लॉक किए जाने के उपरान्त 10 दिवस के भीतर ऑनलाईन सत्यापन किया जाना आवश्यक रहेगा। अनावश्यक विलम्ब की स्थिति में सम्बंधित जिशिअ स्वयं उतरदायी रहेगें।
4. समस्त जिशिअ कार्यालयों हेतु निदेशालय स्तर पर एक वी.सी/प्रशिक्षण मीटिंग का आयोजन किया जायेगा। ताकि पोर्टल पर प्रोफाईल वैरिफिकेशन एवं दस्तावेज जांच सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जा सके। उक्त वी.सी में जिशिअ, सम्बन्धित कार्मिक एवं गठित कमेटी के अन्य सदस्यों का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
5. जिशिअ कार्यालय द्वारा सत्यापन के पश्चात् लॉक की गई प्रविष्टियों को निदेशालय स्तर पर अनुमोदन हेतु ऑनलाईन अग्रेषित किया जाएगा।
6. निदेशालय स्तर से प्रविष्टि एवं अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित जिशिअ प्राशि/माशि द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों को एकीकृत मान्यता प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा। जिसमें विद्यालय की वर्तमान स्थिति व मान्यता संबंधी विवरण अंकित रहेगा।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,
प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

Scanned with CamScanner